UPGK010008382026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–391/2026
हरिधर पुत्र जंगली,
निवासी–लखनापार, थाना सहजनवॉ, जिला गोरखपुर।
...............आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .... प्रतिपक्षी

मु0अ0सं0 561/2025
धारा–191(2), 109, 110, 131, 115(2), 351(2) 352
भारतीय न्याय संहिता,
थाना सहजनवॉ, जनपद गोरखपुर।

आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–482 के प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त हरिधर की तरफ से मु0अ0सं0 561/2025 धारा–191(2), 109, 110, 131, 115(2), 351(2) 352 भारतीय न्याय संहिता, थाना सहजनवॉ, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह उल्लिखित है कि आवेदक/अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 223/2026 दिनांक 31.01.2026 को अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण निरस्त कर दिया गया था। यह आवेदक/अभियुक्त का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

2– अग्रिम जमानत हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अभिषेक शर्मा के पिता प्रमोद उर्फ मनोज शर्मा दिनांक 22.10.2025 को मामा के घर गये थे। शाम करीब 9.00 बजे वादी मुकदमा और उसके पूरा परिवार खाना खाकर सोने जा रहा था। वादी के पिता जी भी मामा के यहॉ से घर आ गये थे कि अचानक जान से मारने की नीयत से वादी के पड़ोसी हरिधर, छबीलाल, संतोष, अभिषेक, बलजीत, सुनीता, प्रभावती एक राय होकर पैसे के विवाद को लेकर गाली–गुप्ता देते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए ईट, पत्थर, लाठी, डण्डे से हमलावर हो गये जिससे वादी के बाबा दशरथ व उसके पिता प्रमोद को गम्भीर चोटें आई। वादी के बाबा बेहोश हो गये तथा अमन, आदित्य, रिया व राज को भी चोटें आई। मार–पीट में राजू भी था।

वादी अपने पिता व बाबा को गम्भीर अवस्था में पहले ठर्रापार फिर जिला अस्पताल ईलाज के लिये ले गया जहॉ डाक्टर ने बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।

3. आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र में यह आधार लिया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस द्वारा 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था जिनकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक को दौरान मुकदमा गिरफ्तार नहीं किया गया था। आवेदक द्वारा उक्त मु0अ0सं0 561/2025 में रिट पेटिशन नं0 28082/2025 दाखिल किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 05.12.2025 के द्वारा आवेदक की गिरफ्तारी आरोप–पत्र दाखिल होने तक रोक लगा दी गई थी। आवेदक ने विवेचना में सहयोग किया है। आरोप–पत्र में भी आवेदक की सह अभियुक्तगण से अलग मार–पीट में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों आवेदक/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया।

4– अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने अग्रिम जमानत प्रा0पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना तथा जमानत पत्रावली का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, अब कोई विवेचना शेष नहीं है तथा कोई साक्ष्य साक्ष्य संकलन शेष नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त से कोई अभिरक्षीय पूछताछ की आवश्यकता नहीं बताई गई है। उक्त प्रकरण में सह अभियुक्तगण छविलाल, भोला, अभिषेक, राजू, सतीश व सुनीता की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल आपराधिक प्रकीर्ण रिट पेटीशन सं0 28082/2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी आरोप–पत्र दाखिल होने तक रोक लगा दी गई थी। आवेदक/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है। अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8– आवेदक/अभियुक्त हरिधर का उपरोक्त द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अधीन रू.

50,000 / – का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये–

1– आवेदक / अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा,

2– आवेदक / अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा,

3– यदि आवेदक / अभियुक्त के पास पासपोर्ट है तो वह इसे सम्बन्धित न्यायालय में जमा करायेगा,

4– आवेदक / अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों / आरोप विरचित किये जाने, विचारण व निर्णय आदि की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

5– आवेदक / अभियुक्त निष्पादित बंध–पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा,

6– आवेदक / अभियुक्त उस अपराध, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा,

9. इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

(राज कुमार सिंह)
दिनांक–10.03.2026 **सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।**
J.O.Code No. 1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.10 16:31:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court